(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–1060–दो/05 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.04.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 445/02–03/अपील

किशनू पुत्र मंजू जाटव
निवासी ग्राम तोड़ा कृषक ग्राम बैराड़
परगना पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. मानो बेवा फोदलिया जाटव
2. कल्लू पुत्र फोदलिया जाटव
   निवासीगण ग्राम तोड़ा परगना पोहरी
   जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. गंगा पुत्री फोदलिया जाटव पत्नी अंतराम जाटव
   निवासी ग्राम विलवानी परगना विजयपुर
   जिला श्योपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.आर. गुप्ता

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 17/1/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 445/02–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.04.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.95 के द्वारा आवेदक के हक में ग्राम बैराड़ भूमि सर्वे कमांक 2790 पर संहिता की धारा 190/110 के तहत नामांतरण किया गया जिसके विरुद्ध अनावेकदगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 30.09.2002 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश अपास्त किया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील आदेश दिनांक 13.04.05 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि न्यायाधीश वर्ग–2 पोहरी ने प्र.क. 23ए/98 ई0दी0 एवं 26ए/2000 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 11.02.05 का जो हवाला अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 13.04.05 में दिया है उसके विरुद्ध चतुर्थ अपर जिला जज (फास्ट ट्रेक कोर्ट) शिवपुरी में प्रकरण कमाक 83ए/05 अपील दीवानी लंबित है। तथा उसमें चतुर्थ अपर जिला जज द्वारा दिनांक 26.06.05 को किशनू बनाम मानो आदि उन्मान में उभयपक्ष को आदेशित किया गया कि उभयपक्ष आगामी तिथि तक विवादित भूमि सर्वे नं. 2790 विकय नहीं करेंगे। इस कारण अपर आयुक्त की फाइंडिंग गलत होने से आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि प्रार्थी किशनू 25–30 साल से निरंतर सर्वे कमांक 2790 पर खेती करता चला आ रहा है तथा अनावेदक ने कभी खेती नहीं की और ना ही उनका कभी कब्जा रहा है। इस कारण आदेश दिनांक 10.09.95 द्वारा परीक्षण न्यायालय में किशनू पुत्र मन्नू जाटव का वहैसियत भूमि स्वामी नामांतरण किया है जो विधि सम्मत होकर वैध व उचित होकर स्थिर रखा जाए।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत एवं न्यायसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। अतएव निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 190–110 का है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों की विवेचना करते हुए अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह विधिसम्मत नहीं है। जो इश्तिहार जारी किया गया है उस पर दिनांक अंकित नहीं है। अनावेदकों को जो तामील जारी की गई है उस पर भी प्रोसेस पंजी कमांक व दिनांक अंकित नहीं है। प्रकरण में तामीली व्यवक्तिशः न कराई जाकर चस्पीदगी से कराई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल आवेदक की साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह भी पाया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 2790 स्थित ग्राम बैराड़ का पूर्व में भू–स्वामी फोदलिया पुत्र सामलिया जाटव अंकित था। फोदलिया की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान मानो देवा फोदलिया आदि के नाम वर्ष 92–93 में नामांतरण हुआ है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता की धारा 190–110 की कार्यवाही अनावेदकों का नाम अभिलेख में आने के बाद की गई है। महिला मानो विधवा महिला है और विधवा महिला की भूमि पर 190–110 की कार्यवाही के प्रावधान लागू नहीं होते। उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णय औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हों।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर